

रक्षा मंत्रालय
रक्षा (एएफटी प्रकोष्ठ)

विषय: सशस्त्र सेना अधिकरण (एएफटी) के प्रशासनिक सदस्यों का चयन।

सशस्त्र सेना अधिकरण में प्रशासनिक सदस्यों की पांच (5) रिक्तियों को भरने के लिए, नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. 01.06.2017 को जीएसआर 514(ई) के तहत अधिसूचित "अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की योग्यताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली 2017" के नियम 3 की अनुसूची 18 (कॉलम-3) में यह प्रावधान है कि:-

"कोई व्यक्ति प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होगा, जब तक वह:-

- (क) सेना में मेजर जनरल रैंक अथवा उससे ऊपर अथवा नौसेना अथवा वायु सेना के समकक्ष रैंक पर कम-से-कम तीन वर्षों की कुल अवधि तक पद पर धारित रहे हों अथवा पद पर हों, अथवा
- (ख) सेना अथवा नौसेना अथवा वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल के रूप में कम-से-कम एक वर्ष की सेवा की हो और क्रमशः मेजर जनरल, कमोडोर और एयर कमोडोर के रैंक से कम न हो, अथवा
- (ग) वह व्यक्ति योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित होना चाहिए और उसे अर्थशास्त्र, बिजनेस, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखांकन, प्रबंधन, उद्योग, लोक मामले, प्रशासन में कम-से-कम बीस वर्षों का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव हो अथवा अन्य किसी मामले, जो कि केन्द्र सरकार की राय में सशस्त्र सेना अधिकरण के लिए उपयोगी हो, का ज्ञान हो।

3. नियम 9 की उक्त अनुसूची 18(कॉलम 5 और 6) की शर्तों के अनुसार सदस्य की पदावधि तीन वर्ष हेतु और सदस्यों द्वारा पद ग्रहण करने की अधिकतम आयु 65 वर्ष है।

4. एएफटी के सदस्यों का वेतन, भत्ते, अन्य नियम और शर्तें, अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरणों (सदस्यों की योग्यताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली 2017 द्वारा शासित किए जाएंगे।

5. चयनित व्यक्ति की नियुक्ति अखिल भारतीय स्थानांतरण के अधीन होगी और इन्हें भारत में जहां भी सशस्त्र बल की पीठ होगी, तैनाती दी जा सकती है।

6. सशस्त्र बल अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य के पद हेतु निम्नलिखित श्रेणियों से जुड़ी सूचना और सामग्री निर्धारित प्रारूप में आवेदन/जीवन-वृत्त के साथ संलग्न करना आवश्यक है:-

- (i) सेना, नौसेना और वायुसेना: आवेदक द्वारा अपनी सेवा अवधि के दौरान अनुशासनात्मक

मामलों में दिया गया कोई निर्णय/आदेश और यदि यह उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ii) अन्य:

आवेदक के व्यावसायिक क्षेत्र में विशेषज्ञता से संबंधित विस्तृत सूचना/उपलब्धि, जो कि सशस्त्र बल अधिकरण के लिए लाभप्रद हो।

7. उपर्युक्त पैरा 6 में उल्लिखित निर्धारित पत्र में आवेदन पत्र अनुलग्नकों के साथ रक्षा मंत्रालय के पास 16 सितंबर, 2019 तक निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:-

श्री ए.के.पांडे,

अवर सचिव,

रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना अधिकरण प्रकोष्ठ,

कमरा संख्या 308-ए, 'बी' विंग, सेना भवन,

नई दिल्ली-110001.

आवेदक कृपया यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण है। अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. इस मंत्रालय में सेवा चैनलों/कार्यालयों के माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त नामांकनों/आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. उपर्युक्त विज्ञापन के आधार पर चयन उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सी) संख्या - 279/2017, कुदरत संघ बनाम भारत संघ बनाम अन्य पर अंतिम आदेश आने के अध्येधीन होंगे।

पूर्णिका राजेन्द्रन

(पूर्णिमा राजेन्द्रन)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नंबर - 23011593

चेयरमैन, सीओएससी

रक्षा मंत्रालय आईडी संख्या 3(2)/2019-रक्षा(एएफटी प्रकोष्ठ), दिनांक 25.07.2019

प्रतिलिपि:

एजी

सीओपी

एओपी

एमएस(एक्स)

योग्य अधिकारियों/सेवानिवृत्त अधिकारियों तक वृहत् रूप से प्रचारित करने के आग्रह के साथ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. प्रधान रजिस्ट्रार, एएफटी - एएफटी की वेबसाइट पर रिक्ति पद अपलोड करने हेतु परिपत्र
2. निदेशक(एनआईसी/रक्षा मंत्रालय)- रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति पद अपलोड करने हेतु परिपत्र